


15/11/19

2019  
11  
शनिवार

वकीलवादी अपील प्रतिकारदीकरण की लम्बी हेतु लम्बाना पेश करने हेतु वकीलवादी को कई अवसर दिये गये। दिनांक 10/10/19 को वकीलवादी को लम्बी हेतु लम्बाना पेश करने हेतु अंतिम अवसर दिया गया। लेकिन वकीलवादी ने लम्बी हेतु लम्बाना पेश नहीं किया। इसके पश्चात् दिनांक 25/10/19 को न्यायद्वि में एक और अवसर वकीलवादी को लम्बाना पेश करने का अंतिम मौका दिया गया। लेकिन वकीलवादी ने प्रतिकारदीकरण की लम्बी हेतु लम्बाना शिर्षक पेश नहीं किया। अतः दावावादी अन्तर्गत धारा 09 R.O.S CPC के तहत वादवादी अदम्य वकमील (NON-Compliance) में खारिज किया जा रहा है। पणवणी बाद तकमील व नम्बर से काठ छोड़कर दारिद्र्य दफ्तार ही सुनया गया।

  
सहायक कलक्टर  
अलवर (राज०)